Form no 111

फर्द अहकाम
(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

ान महेश कुमार बनाम सन्तराम ादि

:– 88 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या:– ....11........./ 2019

11.1.19

हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
अभिभाषक वादी द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के वाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 01.03.2019 को पैश हौ। (हस्ताक्षर)	
<u>24.1.19</u> जा. पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री तरसेम सिंह बराड़ ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल किया गया। पत्रा० वास्ते तलबी दिनांक 1.2.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	महेश कुमार I.By me (हस्ताक्षर) सन्तराम
<u>1.2.19</u> आज पत्र पेश। प्रतिवादी सं. 4 व 5 की तलबी राजीनामा मद्देनजर रखते हुए बन्द की जाती है बवजह अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 4.2.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	बी मला पूनम (हस्ताक्षर)
<u>4.2.19</u> पत्रावली पेश हुई। वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर जारी सुनाया गया जो शामिल पत्रावली है राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। फर्द डिक्री जारी हो पत्रावली फैसला मुकम्मल होकर दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया।	Tarsem Singh (तरसेम सिंह बराड़, A)

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

2

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेंन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 11/2019

महेश कुमार पुत्र श्री सन्तराम जाति जाट आयु 26 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 03, वीपीओ चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

–: वादी

बनाम

1. **सन्तराम पुत्र भादरराम जाति जाट आयु 51 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 03, वीपीओ चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**
2. **बिमला पत्नी श्री सन्तराम जाति जाट आयु 50 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 03, वीपीओ चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**
3. **पूनम पुत्री श्री सन्तराम जाति जाट आयु 23 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 03, वीपीओ चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**
4. **शाखा प्रबन्धक, ओरियन्टल बैक ऑफ कॉमर्स, शाखा चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**
5. **श्रीमान तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**

–: प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

उपस्थिति :–

1. **श्री योगेश झोरड अधिवक्ता** — **वादी**
2. **श्री तरसेम सिह बराड़ अधिवक्ता** — **प्रतिवादी सख्या 1 ता 3**

<u>निर्णय</u> दिनांक 5.2.19

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी सख्या 1 के नाम चक 26 एनडीआर'बी', तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 43/36, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के पत्थर नम्बरर 113/353, मुरब्बा नम्बर 14, किला नम्बर 1/2/0.228 है., 2 ता 9/0.253 है. प्रत्येक, 10/2/0.228 है., 11/2/0.228 है., 12 ता 19/0.253 है. प्रत्येक, 20/2/0.228 है., 21/2/0.228 है., 22/0.253 है. कुल किता 22 कुल क्षेत्रफल 5.441 है. (0.100 है. गैर मुमकिन खाला व 5.341 है. कमाण्ड) कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। दफा 3 में वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को पैतृक कृषि भूमि प्राप्त हुई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संयुक्त परिवार में अपने नाम दर्ज कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि एंव प्रतिवादीगण का घरू बंटवारा किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एंव वादी के हक व हिस्सा एंव घराघरू बंटवारा में वादी व प्रतिवादी सख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में 2 हैक्टेयर कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में 1 हैक्टेयर कृषि भूमि व शेष भूमि प्रतिवादी सख्या 1 ने स्वयं के पास काश्त हेतु रखी हुई है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 परस्पर एक ही परिवार के सदस्य है एंव संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए संयुक्त रहते हुए वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज पैतृक कृषि भूमि में से वादी व प्रतिवादी सख्या 2 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का बंटवारा कर वादी व प्रतिवादी सख्या 2 का सौप दिया है। घराघरू बंटवारा एंव वादी व प्रतिवादी सख्या 2 के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का बंटवारा कर लिया गया एंव वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण सींव व रकम राज को लेकर विवाद रहता है। अतः इस आशय की घोषणा फरमाई जाने के अधिकारी है कि वाद पत्र की दफा 3 के

Scanned by CamScanner

3

मुताबिक घराघरू बंटवारा एंव वादी के हक व हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है एंव इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 व वादी की ओर से स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक 26 एनडीआर'बी' खाता सख्या 43/36, खाता संतराम, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 आदि पेश की गई है।

वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायमब नही की गई। वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस संयुक्त कथन किया कि पक्षकारान हिन्दू परिवार के सदस्य है जो आपस में भाई, बहिन, पिता, पुत्र, पुत्री, पति–पत्नी वगैरा का सम्बन्ध है। पक्षकारान ने रिश्तेदारो व भाई बन्धुओ ने मिलकर पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है और लोक अदालत की भावना से पक्षकारान ने मुताबिक घरेलू बंटवारा एव हक व हिस्सा की कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि का घरेलू बंटवारा करने पर सहमत हो गये है। राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा में वर्णितानुसार मुताबिक घरेलू बंटवारा राजीनामा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर नाम दर्ज कर एंव इसी अनुसार दावा डिक्री किया जाकर घोषणा फरमाई जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को पैतृक प्राप्त हुई है तथा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सख्या 1 यानि वादी के पिता के नाम से दर्ज है। वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 ने राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री करने की सहमति दी है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को घरू बंटवारा के अनुसार मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त आराजी प्राप्त कर रहे है, जिसका कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने से वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 26 एनडीआर'बी', तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 43/36, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के पत्थर नम्बर 113/353, मुरब्बा नम्बर 14, किला नम्बर 1/2/0.228 है., 2 ता 9/0.253 है. प्रत्येक, 10/2/0.228 है., 11/2/0.228 है., 12 ता 19/0.253 है. प्रत्येक, 20/2/0.228 है., 21/2/0.228 है., 22/0.253 है. कुल किता 22 कुल क्षेत्रफल 5.441 है. (0.100 है. गैर मुमकिन खाला व 5.341 है. कमाण्ड) कृषि भूमि में से वादी, 2 हैक्टेयर कृषि भूमि व प्रतिवादी सख्या 2, 1 हैक्टैयर कृषि भूमि तथा शेष कृषि भूमि का प्रतिवादी सख्या 1 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। यदि प्रशनगत रकबां बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 4·2·19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव
एवं उपखण्डाधिकारी
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेंन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 11/2019

महेश कुमार पुत्र श्री सन्तराम जाति जाट आयु 26 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 03, वीपीओ चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

–: वादी

बनाम

1. **सन्तराम पुत्र भादरराम जाति जाट आयु 51 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 03, वीपीओ चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**
2. **बिमला पत्नी श्री सन्तराम जाति जाट आयु 50 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 03, वीपीओ चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**
3. **पूनम पुत्री श्री सन्तराम जाति जाट आयु 23 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 03, वीपीओ चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**
4. **शाखा प्रबन्धक, ओरियन्टल बैक ऑफ कॉमर्स, शाखा चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**
5. **श्रीमान तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**

–: प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादीगण की ओर से श्री योगेश झोरड तथा अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 श्री तरसेम सिंह की उपस्थिति में निर्णय के अनुसार वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 26 एनडीआर'बी', तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 43/36, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के पत्थर नम्बरर 113/353, मुरब्बा नम्बर 14, किला नम्बर 1/2/0.228 है., 2 ता 9/0.253 है. प्रत्येक, 10/2/0.228 है., 11/2/0.228 है., 12 ता 19/0.253 है. प्रत्येक, 20/2/0.228 है., 21/2/0.228 है., 22/0.253 है. कुल किता 22 कुल क्षेत्रफल 5.441 है. (0.100 है. गैर मुमकिन खाला व 5.341 है. कमाण्ड) कृषि भूमि में से वादी, 2 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2, 1 हैक्टैयर तथा शेष कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि प्रशनगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 4.2.19 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner